कयर उद्योग
COIR INDUSTRY

(पंजीकरण)
(REGISTRATION)

नियमावली, 2008
RULES, 2008

कयर बोर्ड
COIR BOARD

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of MSME, Govt. of India)
एरणाकुलम, कोच्ची - 682 016
ERNAKULAM, KOCHI - 682 016

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2008

का.आ. 2061 (अ) --- जबकि कयर उद्योग (पंजीकरण और अनुज्ञापन) नियमावली, 1958 का अधिक्रमण करने के लिए कतिपय नियमों का मसौदा भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1441 (अ), दिनांक 12 जून, 2008 के तहत भारत के असाधारण, राजपत्र के भाग II खंड 3, उप खंड (ii) में कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत यथा अपेक्षित अधिसूचना प्रकाशित करते हुए इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए थे तथा यह भी सूचना दी गई थी कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा।

और, जबकि उक्त अवधि के भीतर उक्त मसौदे पर किसी बी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पहले किये गये अथवा हटाये गए कार्यों को छोड़कर कयर उद्योग (पंजीकरण और अनुज्ञापन) नियमावली, 1958 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः** (1) इन नियमों को कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 कहा जायेगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ :** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

   (क) "अधिनियम" का अभिप्राय कयर उद्योग अधिनियम 1953 (1953 का 45) से है।

   (ख) "बोर्ड" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित कयर बोर्ड से है।

   (ग) "अध्यक्ष" का अभिप्राय बोर्ड के अध्यक्ष से है।

   (घ) "फार्म" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फार्म से है।

(ङ) औद्योगिक स्थापना का अभिप्राय, किसी भी ऐसे परिसर से है जिसमें भाड़े के मजदूरों की सहायता से अथवा सहायता के बिना तथा बिजली की सहायता से अथवा उसके बिना कयर रेशे का निष्कर्षण अथवा कयर सूत की कताई अथवा कयर रेशे अथवा कयर सूत के गोले बनाने अथवा कयर उत्पादों अथवा मिश्रित उत्पादों के विनिर्माण अथवा फिनिशिंग की कोई प्रक्रिया अथवा कयर पिथ का प्रसंस्सकरण आदि कार्य निष्पादित किये जाते हैं;

(च) "अधिसूचना" का अभिप्राय भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;

(छ) "अधिकारी" का अभिप्राय बोर्ड अथवा भारत सरकार के अधिकारी से है;

(ज) "व्यक्ति" में निगम, फर्म, व्यक्ति का संघ और सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी समिति शामिल है;

(झ) "सचिव" का अभिप्राय बोर्ड का सचिव है।

(ञ) "वर्ष" का अभिप्राय 1 अप्रैल को शुरु होने वाले वर्ष से है।

(ट) "राट" का अभिप्राय कयर रेशे को कयर सूत में कातने के लिए बिजली से अथवा बिजली के बिना प्रयुक्त अथवा प्रयोग की जाने वाली यांत्रिक युक्ति से है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अर्थ वही होगा, जैसा कि वे अधिनियम में नियत हैं।

3. **पंजीकरण के लिए आवश्यकताः** (1) कयर स्थापनाओं को कारोबार की शुरुआत के एक महीने के भीतर कयर बोर्ड के साथ पंजीकृत कराना होगा और उन्हें एक संख्या आबंटित की जाएगी जिससे कयर बोर्ड कयर औद्योगिक स्थापनाओं के संबंध में अद्यतन आंकड़े रखने में सक्षम हो सकेगा।

(2) प्रत्येक औद्योगिक स्थापना को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कारोबार के लेन देन का विवरण अथवा सांख्यिकीय जैसे प्रमाणित डाटा प्रेषित करना होगा, ऐसा न करने पर बोर्ड के साथ पंजीकरण निरस्त समझा जाएगा।

4. **पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रः** (1) नियम 3 के तहत पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र फार्म I में सचिव को अथवा, जैसा भी मामला हो, इसके लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जाएगा:-

* बशर्ते कि सचिव अथवा वह अधिकारी, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि समय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण है, तो वह नियम 3 की उप-नियम (1) में तथा उल्लिखित एक माह की अवधि के पश्चात् आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकार्ड किए जानेवाले कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

** 5. **प्रमाणपत्र की मंजूरीः** आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव अथवा अधिकारी ऐसी पूछताछ करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझें, औद्योगिक स्थापना को पंजीकृत कर सकता है और प्रमाणपत्र में इसके लिए आबंटित पृथक पंजीकरण संख्या को अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित सम्यक रूप से भरे गए आवेदन की प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर फार्म II में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

6. **वैधता की अवधिः** इन नियमों के तहत किया गया प्रत्येक पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा और औद्योगिक स्थापना द्वारा आवेदन पत्र देने पर एक बार,अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

7. **नवीकरण के लिए आवेदन पत्रः** पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र नवीनीकरण की समाप्ति तिथि से पूर्व 30 दिनों के भीतर फार्म III में किया जाएगा और उसके साथ पहले से दिया गया प्रमाण पत्र भी संलग्न होगाः

* बशर्ते कि सचिव अथवा अन्य अधिकारी, यदि इस बात से संपुष्ट हो कि समय पर आवेदन पत्र न देने के पर्याप्त कारण हो, तो पंजीकरण समाप्त होने की तिथि के अगले 30 दिनों के भीतर आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकार्ड करनेवाले कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

* यह भी शर्त है कि अध्यक्ष, यदि इस से संतुष्ट हो कि प्रथम प्रावधान में उल्लिखित अवधि के भीतर आवेदन पत्र न देने के पर्याप्त कारण हो, तो उक्त अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकार्ड करनेवाले कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

8. **शुल्कः** इन नियमों के तहत औद्योगिक स्थापना के पंजीकरण अथवा पंजीकरण को नवीकृत करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये का शुल्क जमा कराना होगा।

**** दि. 26 नवंबर, 2009 के का. आ. 3016 (अ) द्वारा संशोधित***

***** दि. 31 मई, 2011 के का. आ. 1252 (अ) द्वारा संशोधित***

9. **डुप्लीकेट प्रमाण पत्र:** यदि इन नियमों के तहत पंजीकरण के लिए दिया गया प्रमाणपत्र खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो सचिव आवश्यक पूछताछ के बाद 25 रुपये शुल्क लेकर दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

10.**औद्योगिक स्थापना का हस्तांतरण :** (1) यदि औद्योगिक स्थापना अथवा ऐसी स्थापना में लगाया गया कोई भी संयंत्र अथवा उपस्कर को बेचकर, बंधक रखकर अथवा किसी अन्य तरह से हस्तांतरित किया जाता है तो हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को फार्म IV में हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दे सकता है।

(2) सचिव अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी पूछताछ के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, पंजीकरण प्रमाण पत्र में हस्तांतरण का पंजीकरण और इस आशय की प्रविष्टि कर सकता है ।

11. **स्थान परिवर्तन:** (1) औद्योगिक स्थापना का, पंजीकरण लागू रहने की अवधि के दौरान यदि मालिक उस स्थान को बदलना चाहता है, जहाँ औद्योगिक स्थापना अवस्थित है, तो उसे कम से कम 30 दिन पहले सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा।

(2) इस प्रकार के प्रत्येक पत्र में नये स्थान के बारे में बताना होगा और उसके साथ पूर्व में जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(3) सचिव अथवा अन्य अधिकारी, यदि वह आवश्यक पूछताछ के बाद उक्त परिवर्तन से सहमत होता है तो, पंजीकरण के प्रमाण पत्र में नये स्थान की प्रविष्टि कर देगा।

12. **अतिरिक्त सूचना मांगने की शक्ति:** (1) सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी, एक विशिष्ट अवधि के भीतर आवेदक से ऐसी अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जिसे वह पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे और प्रत्येक आवेदक, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वह सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

(2) यदि आवेदक सूचना नहीं देता अथवा गलत सूचना देता है तो सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आदेश देकर औद्योगिक स्थापना पंजीकृत करने के लिए दिये गये आवेदन पत्र को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि अस्वीकार करने के कारणों सहित उस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

13. **पंजीकरण का रद्दीकरण:** यदि सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो, कि किसी भी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है अथवा उसने इन नियमों के किसी भी प्रावधान अथवा प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, तो सचिव अथवा वह अधिकारी, उस व्यक्ति के विरुद्ध की गई किसी भी कार्रवाई पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, आदेश देकर उस प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है:

बशर्ते कि उस प्रमाण पत्र को रद्द करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का अवसर देना होगा:

बशर्ते कि रद्द करने के कारणों सहित आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को प्रेषित की जायेगी।

* 14. **अपील:** नियम 12 अथवा 13 के तहत दिए गए आदेश द्वारा असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष से अपील कर सकता है, जो ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका निपटारा करेंगे।

15. **छूट :** पूर्ववर्ती नियमों में किसी भी बात के होते हुए, बोर्ड अधिसूचना द्वारा, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक स्थापना के इन नियमों के संचालन से, स्थायी रूप से अथवा विशिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकता है और समय पर इसी तरह की अधिसूचना द्वारा उस अवधि को बढ़ा सकता है।

16. **निर्यातकों का पंजीकरण:** इस नियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, तब तक कयर फाइबर, कयर सूत, कयर उत्पादों अथवा कयर मिश्रित उत्पादों का निर्यात नही करेगा जब तक कि वह इन नियमों के तहत एक निर्यातक के रूप में पंजीकृत न हो।

17. **पंजीकरण हेतु आवेदनपत्र:** (1) नियम 16 के तहत निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी भी व्यक्ति को फार्म V में दिया जायेगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:-

(क) किसी बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिति के संबंध में एक प्रमाणपत्र, पैन कार्ड एवं निर्यातक - आयातक संहिता की प्रति, और

(ख) 10/- रुपये (दस रुपये) का शुल्क

(2) बोर्ड को प्रेषित शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा

(3) यदि आवेदन पत्र इन नियमों के साथ संलग्न उचित प्रपत्र में नहीं होगा अथवा अपेक्षित विवरण संलग्न नहीं होंगे, तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**** दि. 26 नवंबर, 2009 के का. आ. 3016 (अ) द्वारा संशोधित***

** (4) यदि बोर्ड आवेदन पत्र से संतुष्ट होता है तो प्रपत्र VI में निर्यातक के रूप में आवेदक को पंजीकृत करते हुए पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(5) अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में अतिरिक्त जानकारी माँगने पर आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर उक्त जानकारी भेजना अनिवार्य होगा।

18. **वैधता की अवधि :** इन नियमों के तहत निर्यातकों को दिया गया प्रत्येक पंजीकरण तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा तथा निर्यातकों द्वारा तीन वर्षों की अवधि के भीतर नवीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

19. **पंजीकरण का नवीकरण :-** निर्यातक सचिव, कयर बोर्ड को प्रपत्र VII में निर्यातक के रूप में पंजीकरण के नवीकरण हेतु प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने वाले माह के आगामी माह की 30 तारीख को या उससे पहले 10/- रुपये शुल्क सहित आवेदन कर सकते हैं:

** बशर्ते कि अध्यक्ष अधिकतम छः हज़ार रुपए के अध्यधीन पहले मास अथवा इसके भाग के विलंब के लिए 10 रुपए; अगले एक मास अथवा इसके भाग के विलंब के लिए 20 रुपए; अगले एक मास अथवा इसके भाग के विलंब के लिए 40 रुपए; अगले एक मास अथवा इसके भाग के विलंब के लिए 80 रुपए के भुगतान पर मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति के एक मास के बाद नवीकरण हेतु आवेदन पत्र स्वीकार कर सकते हैं।

बशर्ते कि यदि निर्यातक वैद्य प्रमाणपत्र धारित अवधि के दौरान कोई निर्यात कारोबार संचालित नहीं करता है, तो निर्यातक के रूप में आगामी तीन वर्षों के लिए प्रमाणपत्र नवीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि निर्यातक निर्यात संविदा करता है, तो उन्हें बोर्ड को नये पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

20. **पंजीकरण रद्द करना:** जिस व्यक्ति को निर्यातक के रुप में पंजीकृत किया गया है, यदि वह लगातार बारह महीनों की अवधि के दौरान, किसी भी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाता, जिसके लिए उसे पंजीकृत किया गया है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में असफल रहता है अथवा यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होता है कि वह व्यक्ति निर्यातक के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गया है अथवा

***** दि. 31 मई, 2011 के का. आ. 1252 (अ) द्वारा संशोधित***

लिखित रूप में रिकोर्ड दिये जाने के लिए किसी भी अन्य कारण से, अध्यक्ष निर्यातक को अपनी आपत्ति का उपयुक्त अवसर देने के बाद आदेश देकर पंजीकरण रद्द कर सकता है और उसे आदेश की एक प्रति भेजेगा।

21. **पंजीकृत निर्यातकों द्वारा रिटर्न :** निर्यातक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति निर्यात किए जानेवाले वस्तुओं तथा निर्यात की तारीख को दर्शाता एक विवरण प्रपत्र VIII में इस प्रकार भेजेगा कि विवरण निर्यात माह के आगामी माह की 30 तारीख तक अथवा उसके पहले सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त हो सके।

* 22. **अपील :** नियम 20 के तहत दिए गए आदेश द्वारा असंतुष्ट कोई व्यक्ति उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर केन्द्र सरकार से अपील कर सकता है, जो एसी अपील प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसका निपटारा करेगी।

23. विवरणियाँ आदि माँगने का अधिकार: (1) बोर्ड सामान्य आदेश अथवा विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को अपने व्यवसाय के रिकोर्ड इस तरीके से रखने के निदेश दे सकता है जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो और आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अपने व्यवसाय से संबंधित विवरणीयाँ बोर्ड को प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है।

(2) अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के अनुपालन की दृष्टि से लिखित रूप में :

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को अपने व्यवसाय के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए कह सकता है, और

(ख) उसके व्यवसाय के संबंध में किन्हीं बहियों, लेखाओं अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

**** दि. 26 नवंबर, 2009 के का. आ. 3016 (अ) द्वारा संशोधित***

फार्म - I
(देखें नियम 4)

औद्योगिक स्थापना के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख...)

1	औद्योगिक स्थापना का नाम	
2	पता (क) प्रधान कार्यालय (ख) फैक्टरी	
3	स्वामित्व-क्या मालिकाना, साझेदारी, प्राइवेट लि. अथवा सार्वजनिक लि. है।	
4	मालिकों, साझेदारों और निदेशकों के नाम और उनके पते।	
5	नीचे की टिप्पणी (2) के संदर्भ में फैक्टरी के मालिक का नाम और पता	
6	स्थापना का वर्ष	
7	क्या स्थापना भारतीय फैक्टरी अधिनियम के अतंर्गत पंजीकृत है और यदि हाँ, तो ऐसे पंजीकरण की संख्या और वर्ष	
8	यदि स्थापना में कयर सूत के पुनः लच्छे बनाए जाते हैं तो, पिछले वर्ष के दौरान (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) कयर सूत के पुनः बनाए लच्छे की मात्रा (क्विंटल में) बताएँ।	
9	यदि स्थापना में गोले बनाए जाते हैं तो, पिछले वर्ष (गोले की संख्या सहित) के दौरान (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) बनाए गए कयर सूत और कयर फाइबर (अलग-अलग) के गोले की मात्रा (क्विंटल में) बताएँ।	
10	विनिर्माण गतिविधियाँ: लगातार अथवा मौसमी है।	
	आमतौर पर कितनी पारियों में कार्य किया जाता है।	
	पिछले वर्ष में (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) कार्य दिवसों की संख्या।	

11	निर्माण किए जाने वाले उत्पादों के नाम और क्षमता (क्विंटल में)	मैट	मैटिंग	गलीचा, दरी आदि	अन्य सामान	रस्सी
12	पिछले वर्ष में (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) निर्मित (रस्सी क्विंटल में) मात्रा	मैट	मैटिंग	गलीचा दरी आदि	अन्य सामान	रस्सी

13	पिछले वर्ष के दौरान (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) अन्य स्थापनाओं से खरीदी गई मात्रा (क्विंटल में) यदि कोई हो तो।	
14	संयंत्र और उपस्कर का स्वरूप	
	(क) चटाई के करघे (विभिन्न चौडाइयों के)	
	(ख) डॉबी करघे	
	(ग) जेक्वर्ड करघे	
	(घ) क्रील चटाई करघे	
	(ङ) चटाई करघे	
	(च) अन्य किसी प्रकार के करघे	
	(छ) डच चटाई के फ्रेम	
	(ज) बीमिंग मशीनें	
	(झ) कतरन बनाने की मशीनें	
	(ञ) गूंथने की मशीनें	
	(ट) सिलाई की मशीनें	
	(ठ) स्प्रे प्लांट	
	(ड) स्क्रू प्रेसिस	
	(ढ) रोलिंग मशीनें	
	(ण) स्ट्रेचिंग मशीनें	
	(त) रंगाई के लिए भाप संयंत्र	
	(थ) रंगाई के लिए प्रत्यक्ष ऊष्मा संयंत्र	

15	नियुक्त श्रमिक	पुरुष	महिलाएँ	कुल
	कुशल			
	अर्द्धकुशल			
	अकुशल			
	कुल			

घोषणा

मैं (नाम और पता) ....एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात और विश्वास है, उपर्युक्त सूचना सही और पूर्ण है, कि मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों की जानकारी है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

तारीखः आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. प्रत्येक औद्योगिक स्थापना के संबंध में एक अलग आवेदन पत्र भेजा जाना चाहिए चाहे यह उसी शहर अथवा गाँव में हो अथवा विभिन्न शाहरों अथवा गांवों में हो।
2. किसी भी औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से है जिसका उपक्रम के कार्य पर अंतिम नियंत्रण हो, और जहाँ उपर्युक्त कार्य प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट को सौंपे गए हो, वहाँ वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट उस उपक्रम का मालिक समझा जाएगा।

फार्म - II
(देखें नियम 5)

औद्योगिक स्थापना के पंजीकरण के लिए प्रमाणपत्र

1	पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख	
2	औद्योगिक स्थापना का नाम	
3	पता (क) प्रधान कार्यालय (ख) फैक्टरी	
4	औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक का पूरा नाम और पता	
5	निर्मित उत्पादों (चटाइयों, गलीचों, कालीनों, रस्सियों आदि) और / अथवा कयर सूत के पुनः लच्छे बनाने अथवा कयर सूत अथवा कयर फाइबर के गोले बनाने जैसे अन्य कार्यों के नाम	
6	फैक्टरी में संयंत्र और उपस्कर का स्वरूप (यहाँ फार्म (1) के अनुसार संयंत्र और उपस्कर के नाम दिए जाएँ।	

पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तें

1. कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है।
2. पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक तत्काल औद्योगिक स्थापना में अपना प्रमाण पत्र लगाएगा।
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक, बोर्ड द्वारा निर्धारित अभिलेखों को सही ढंग से रखेगा।
4. पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक, ऐसी सारी सूचना सही और पूर्ण रूप से देगा जो उससे मांगी जाएगी तथा बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगा।
5. पंजीकरण प्रमाण पत्र का धारक, औद्योगिक स्थापना का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड की ओर से इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी को निरीक्षण की अनुमति देगा और बोर्ड द्वारा निर्धारित अभिलेख माँगने पर उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

नवीनीकरण पृष्ठांकन

नवीकरण की तारीख	समाप्ति की तारीख	पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4

अंतरण पृष्ठांकन

1	अंतरित औद्योगिक स्थापना की पंजीकरण संख्या	
2	यदि पूरी स्थापना अंतरित नहीं की गई है तो अंतरित किए गए संयंत्र और उपस्कर का विवरण और उस स्थापना के पंजीकरण की संख्या	
3	अंतरण की तारीख	
4	प्रमाण पत्र जारी होने अथवा नवीकरण करवाने के बाद नए संयंत्र और उपस्कर के पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या	

मोहर सहित पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म - III
(देखें नियम 7)

औद्योगिक स्थापना के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र का फार्म

	औद्योगिक स्थापन का नाम	
	पता (क) प्रधान कार्यालय (ख) फैक्टरी	
	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में औद्योगिक स्थापना के मालिक का नाम और पता	
	पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख	संख्या: दिनांक:
	क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है	हाँ / नहीं.

स्थान :

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:- किसी भी औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से है जिसका उपक्रम के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो, और जहाँ उपर्युक्त कार्य प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट को सौंपे गए हों, वहां वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट उस उपक्रम का मालिक समझा जाएगा।

नवीनीकृत पंजीकरण............ तक है	
क्या नवीकरण शुल्क प्रेषित किया गया	रुपए धनादेश/पी.ओ./नकद

फार्म - IV

(देखें नियम 10)

औद्योगिक स्थापना अथवा संयंत्र और ऐसी स्थापना में लगाए गए उपस्कर के स्वामित्व अथवा आधिपत्य के अंतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1	आवेदक का पूरा नाम	
2	पूरा पता	
3	पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख	
4	औद्योगिक स्थापना का नाम और पूरा पता (क) प्रधान कार्यालय (ख) फैक्टरी	
5	क्या पूरी स्थापना अंतरित की गई है, यदि नहीं तो उस अंतरित किए गए संयंत्र और उपस्कर के विवरण जिसके लिए पंजीकरण अपेक्षित है।	
6	स्वामित्व-क्या मालिकाना, साझेदारी, प्राइवेट लि., अथवा सार्वजनिक लि. है।	
7	मालिकों, साझेदारों अथवा निदेशकों के नाम और उनके पते।	
8	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में स्थापना के मालिक का नाम	
9	ऐसे अंतरण के कारण	

घोषणा

मैं (नाम और पता) ....एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक मुझे ज्ञात और विश्वास है, उपर्युक्त सूचना सही और पूर्ण है, और ऊपर उल्लिखित औद्योगिक स्थापना, संयंत्र और उपस्कर का अंतरण स्वेच्छा से अंतरिती द्वारा मेरे नाम पर किया गया है।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

टिप्पणी :- किसी भी औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से है जिसका उपक्रम के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो, और जहाँ उपयुक्त कार्य प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट को सौंपे गए हों, वहाँ वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट उस उपक्रम का मालिक समझा जाएगा।

फार्म - V

(देखें नियम 17)

कयर फाइबर, कयर सूत अथवा कयर उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1	आवेदक का पूरा नाम और पता ई-मेल, फैक्स आदि सहित	
2	संपर्क व्यक्ति की दूरभाष संख्या सहित मोबाइल फोन संख्या	
3	कंपनी के मालिक, प्रबंधक साझेदार, मुख्य कार्यकारी के स्थायी आवास का पता जैसा भी मामला हो।	
4	आवेदक का पूरा विवरण (क) स्थापना का वर्ष (ख) क्या सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, साझेदारी अथवा निजी फर्म, अथवा सहकारी समिति है। (ग) मालिकों, साझेदारों अथवा निदेशकों के नाम और उनके पते (घ) नीचे टिप्पणी (1) के संदर्भ में फैक्टरी के मालिक का नाम	
5	उस मद का नाम, जिसका आवेदक निर्यात करना चाहता है (कयर फाइबर, कयर सूत, कयर रस्सी, रस्सी रहित और कयर पिथ सहित कयर उत्पाद)	
6	क्या आवेदक, प्रतिष्ठित निर्यातक है अथवा नया-नया निर्यात शुरू किया गया है।	
7	(क) क्या आवेदक का निर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रस्ताव है? (ख) यदि हाँ, तो क्या इस आशय का दस्तावेजी सबूत संलग्न किया है।	

8	यदि आवेदक ने नया नया निर्यात शुरू किया है तो उल्लेख करें कि क्या आवेदक निर्माण-क्षमता, कुल क्रय कारोबार अथवा निर्यात आदेश के आधार पर पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है। (क) भारतीय फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत उसके स्वामित्व के अधीन आने वाली फैक्टरी की पंजीकरण संख्या क्या है और किस वर्ष पंजीकरण हुआ है पिछले 12 महीनों के दौरान निर्मित कयर रस्सी को छोड़कर कितनी मात्रा में लच्छे बनाए गए अथवा गोले बनाए गए अथवा कयर की वस्तुएँ बनाई गई। (ख) पिछले 12 महीनों के दौरान कयर रस्सी को छोड़कर कयर सूत अथवा कयर से बनी वस्तुओं की कुल खरीद। (ग) क्रेता का नाम और पता जिसने निर्यात के लिए कयर सामान की किस्म, मात्रा और मूल्य सहित निर्यात-आदेश प्रस्तुत किए हैं।	
9	क्या आवेदक ने निम्न प्रस्तुत किए हैं:- (क) अनुसूचित/ राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रमाण पत्र (बैंक का नाम और पता दें) (ख) स्थायी लेखा संख्या कार्ड की प्रति। (ग) आयातक निर्यातक कोड की प्रति।	
10	बैंक के नाम सहित सेवा प्रभार के लिए संलग्न मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) की संख्या, तारीख और राशि बताए	
11	क्या आवेदक किसी वाणिज्य मंडल अथवा व्यापार संघ का सदस्य है? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाना चाहिए।	

घोषणा

1. मैं (नाम और पता) .... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जो कुच्छ भी ऊपर कहा गया है कि मुझे निर्यातक पंजीकरण से संबधित शर्तों की जानकारी है और यह भी कि मैं उसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।
2. मैं (नाम और पता) .... यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने पहले पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है/ मैं ने...................... को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन पंजीकरण से इंकार कर दिया गया।

स्थान :

तारीखः

मोहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणीः-

1) किसी भी औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से है जिसका उपक्रम के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो, और जहाँ उपर्युक्त कार्य प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट को सौंपे गए हों, वहां वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध एजेंट उस उपक्रम का मालिक समझा जाएगा।

2) यदि आवेदन पत्र किसी भी संबंध में अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होगा तो, उसे सरसरी तौर से अस्वीकार किया जा सकता है।

3) (क) कयर फाइबर (ख) कयर सूत (ग) कयर से बनी वस्तुएं जिनमें कयर रस्सी शामिल नहीं है, और (घ) कयर रस्सी जैसा भी मामला हो, के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के संबंध में अलग अलग आवेदन किए जाने चाहिए।

4) पिछले 12 महीने के निर्मित कयर सामान अथा क्रय करोबार का सबूत सनती लेखाकार से प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

फार्म - VI

(देखें नियम 17)

निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र

1 पंजीकरण संख्या

2 पंजीकरण की तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि (निर्यातक का नाम और पता) .... को कयर उद्योग अधिनियम, 1953 और कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 और भारत सरकार / कयर बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी आदेश / अनुदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन कयर फाइबर, कयर यार्न, कयर रस्सी अथवा कयर उत्पादों के व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

स्थानः

तारीखः

मोहर सहित पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म - VII

(देखें नियम 19)

कयर फाइबर, कयर यार्न, कयर रस्सी अथवा कयर उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र

1	आवेदक का पूरा नाम और पता ई-मेल, फैक्स आदि सहित	
2	आवेदक का पूरा विवरण (क) स्थापना का वर्ष (ख) क्या सार्वजनिक कंपनी, निजी सहकारी समिति है। (ग) मालिकों, साझेदारों अथवा निदेशकों के नाम और उनके पते (घ) नीचे टिप्पणी (1) के संदर्भ में फैक्टरी के मालिक का नाम (ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / संपर्क व्यक्ति के नाम सहित सेल फोन की संख्या	
3	उस मद का नाम जिसका आवेदक निर्यात करना चाहता है (कयर फाइबर, कयर सूत, कयर रस्सी, रस्सी और कयर पिथ रहित कयर उत्पाद)	
4	पंजीकरण संख्या सहित आरंभिक पंजीकरण की तारीख	
5	क्या व्यापारी / निर्माता निर्यातक है?	
6	क्या निर्यातक नियमित रूप से मासिक रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है?	
7	क्या आवेदक ने निम्न प्रस्तुत किए हैं:- (क) अनुसूचित/ राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रमाण पत्र (बैंक का नाम और पता दें) (ख) आयातक निर्यातक कोड की प्रति। (ग) सेवा प्रभार के लिए माँग पत्र (संख्या, तारीख और राशि का उल्लेख करें)	
8	क्या विदेशी व्यापार नीति के परिशिष्ट-4, 4 ए उचित रूप से भरे और संलग्न किए गए हैं।	

9	स्तर-श्रेणी, यदि कोई हो	
10	क्या आवेदक किसी वाणिज्य मंडल अथवा व्यापार संघ का सदस्य है? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाना चाहिए।	

घोषणा

मैं (नाम और पता.................................) एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है वह सही और पूर्ण है और कि मुझे निर्यातक के रूप में पंजीकरण और नवीनीकरण से संबंधित शर्तों की जानकारी है और यह भी कि मैं उसका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान : मोहर सहित आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख: आवेदक का नाम:

टिप्पणी:-

1) किसी भी औद्योगिक स्थापना के संबंध में मालिक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकरण से है जिसका उपक्रम के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो, और जहाँ उक्त कार्य प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपे गए हों, वहाँ वह प्रबंधक, प्रबंध निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति उस उपक्रम का मालिक समझा जाएगा।
2) यदि आवेदन पत्र किसी भी संबंध में अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण है तो, उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

फार्म - VIII

(देखें नियम 21)

कयर और कयर उत्पादों के मासिक रिटर्न का फार्म

निर्यातक का नामः
पंजीकरण संख्याः

20 .... के .... महीने में भारत से निर्यात किए गए कयर एवं कयर उत्पादों का विवरण

निर्यात का पत्तन	निर्यात की तारीख	जिस जहाज में निर्यात किया गया है	जिस पत्तन को निर्यात किया गया है	* कयर और कयर उत्पादों का विवरण	* विनिर्देशन / ग्रेड	मात्रा (किग्रा.)		पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य	
						स्वामित्व वाली लाइसेंस प्राप्त फैक्टरी में निर्मित	अन्य स्रोतों से क्रय	रुपए में	अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

घोषणा

मैं / हम (नाम और पता) .... घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि जहाँ तक मुझे / हमें ज्ञात है और विश्वास है कि उपर्युक्त विवरण सभी प्रकार से सत्य है।

स्थान :

मोहर सहित निर्यातक के हस्ताक्षर

तारीख:

* कॉलम 5 'कयर उत्पादों का विवरण' के अंतर्गत विभिन्न किस्मों के यार्न यथा कयर पिथ, कयर फाइबर सहित बताएँ कि क्या उत्पाद चटाई, रग, मौरजौक, बैग, नैट, रस्सी आदि हैं.

** कॉलम 6 विनिर्देशन/ग्रेड के अंतर्गत चटाई के प्रकार के सामने बताएँ कि क्या वह ब्रश, फाइबर अथवा टोकरे अथवा किसी अन्य प्रकार की है। उसी प्रकार चटाई के सामने गलीचा और मौरजौक और अन्य बनी हुई कयर वस्तुओं का उल्लेख करें कि क्या वह सादे, फैंसी, बुने हुए अथवा स्टेंसिल किए हुए हैं। रस्सी के सामने उसका घेरा बताएं। यार्न के मामले में बताएँ कि क्या वह आलप्पाट, अराटरी, अष्टमुडी, मंगाडन, वैक्कम, बीच आदि हैं। कयर फाइबर के मामले में बताएँ कि क्या वह ब्रिस्ल, शार्ट फाइबर और मिक्सड आदि हैं। कयर पिथ के मामले में बताएँ कि क्या वह रॉपिथ, अथवा ब्रिक्स अथवा ग्रोबेग अथवा डिस्क अथवा किसी अन्य रूप में हैं।

(फा. सं. 6(25) / 2000-कयर)

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव